# <u>प्रवेश सूचना</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र **2025-26** हेतु पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय कानपुर कैंट (प्रथम पाली) में कक्षा **2- 8 की कक्षाओं में प्रवेश हेतु** रिक्त स्थानों पर ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है| कक्षावार रिक्तियों, आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए विद्यालय वेबसाइट https://kanpurcantt.kvs.ac.in/ देखें| पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों के साथ दिनांक **02/04/2025** से **11/04/2025** तक विद्यालय में प्रात: **9:00** बजे से अपराह्न **2:00** बजे तक जमा किये जा सकते हैं |

| संभावित रिक्तियाँ | | |
|---|---|---|
| क्रम संख्या | कक्षा | रिक्तियाँ |
| 1. | II | 14 |
| 2. | III | 18 |
| 3. | IV | 16 |
| 4. | V | 18 |
| 5. | VI | 17 |
| 6. | VII | 20 |
| 7. | VIII | 10 |

**उपर्युक्त रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है |**

## <u>प्रवेश के लिए पात्र आयु</u>

| कक्षा | जिस वर्ष में प्रवेश माँगा जा रहा है उस वर्ष की 31 मार्च को बच्चे की न्यूनतम/अधिकतम आयु |
|---|---|
| II | 7 वर्ष लेकिन 09 वर्ष की आयु से कम |
| III | 8 वर्ष लेकिन 10 वर्ष की आयु से कम |
| IV | 9 वर्ष लेकिन 11 वर्ष की आयु से कम |
| V | 9 वर्ष लेकिन 11 वर्ष की आयु से कम |
| VI | 10 वर्ष लेकिन 12 वर्ष की आयु से कम |
| VII | 11 वर्ष लेकिन 13 वर्ष की आयु से कम |
| VIII | 12 वर्ष लेकिन 14 वर्ष की आयु से कम |

## प्रवेश में प्राथमिकताएँ

प्रवेश प्रदान करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जाएगा:

1. केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों एवं भूतपूर्व-सैनिकों के बच्चे।

2. भारत सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

3. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

4. राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्थानांतरणीय एवं अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

5. अन्य किसी भी श्रेणी के बच्चे, अर्थात, वे सभी जो ऊपर सूचीबद्ध श्रेणी 1 से 4 में शामिल नहीं हैं।

**टिप्पणी :-** प्रवेश में बच्चों को प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी।

## प्रवेश में आरक्षण

i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) की श्रेणियों हेतु सभी केन्द्रीय विद्यालयों में सभी नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) के लिए 27% सीटें आरक्षित होंगी।

ii. दिव्यांगों (सीडब्ल्यूएसएन) की श्रेणी हेतु नए प्रवेश के लिए कुल उपलब्ध सीटों में से 3% सीटें दिव्यांगों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित होंगी।

## टिप्पणी:

(i) पंजीकरण मात्र से ही प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(ii) अपूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र सामान्यतः अस्वीकृत कर दिए जाएँगे।

(iii) गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर पाए गए प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और प्राचार्य द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) दो पालियों में संचालित केन्द्रीय विद्यालय को प्रवेश के दृष्टिकोण से दो अलग-अलग विद्यालय माना जाएगा। पाली में परिवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यदि किसी विद्यालय की एक ही कक्षा में किसी बच्चे के प्रवेश के लिए एक से अधिक पंजीकरण/आवेदन किए जाते है तो उनमें से प्राप्त अंतिम पंजीकरण/आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।

**दस्तावेज़**

**निम्नलिखित दस्तावेज /प्रपत्र पंजीकरण फॉर्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । दस्तावेजों के अभाव में पंजीकरण फॉर्म में किये गये दावे का लाभ नहीं दिया जायेगा ।**

1 बच्चे का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति ।

2 बच्चे का राज्य शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त स्कूल द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र ।

3 संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र कि बच्चा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर), जहाँ भी लागू हो, से संबंधित है। यदि बच्चे का प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो प्रवेश के प्रयोजन के लिए माता-पिता में से किसी एक का प्रमाणपत्र प्रारंभ में स्वीकार किया जा सकता है। तथापि, इस संबंध में बच्चे का प्रमाण-पत्र प्रवेश की तिथि से 03 महीने की अवधि के अंदर जमा करना होगा।

4 दिव्यांग (सीडब्ल्यूएसएन) के संबंध में, सिविल सर्जन/पुनर्वास केन्द्र या भारत सरकार द्वारा परिभाषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित करता है कि वह एक दिव्यांग (सीडब्ल्यूएसएन) बच्चा है।

5 माता/पिता का पिछले 7 वर्षों के दौरान स्थानान्तरण की संख्या दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण पत्र, जिसे कार्यालय प्रमुख द्वारा बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में नाम, पदनाम और अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ विधिवत हस्ताक्षर कर मोहर लगाई गई हो।

6 वर्दीधारी रक्षा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति का प्रमाण-पत्र।

7 निवास का प्रमाण (आवास आवंटन प्रमाणपत्र /आधार /निवास प्रमाणपत्र /किरायेदारी का अनुबंध )

8 बच्चे का आधार /आधार पंजीकरण प्रपत्र

9 बच्चे का ब्लड ग्रुप रिपोर्ट

10 बच्चे का फोटोग्राफ